निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 ज्येष्ठ 1943 (श0)

(सं0 पटना 332) पटना, सोमवार 7 जून 2021

सं0 कारा/स्था0 (अधी0) 01–15/2015/2418

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

संकल्प

10 मार्च 2021

दिनांक 03.03.2021 को आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी, पटना एवं जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण/छापेमारी की गई। निरीक्षण के पश्चात् जिलाधिकारी, पटना द्वारा पत्रांक 2303/गो0, पटना दिनांक 04.03.2021 से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जिसके अनुसार छापेमारी में दो माबाइल, एक सिम एवं दो पंजियाँ बरामद की गईं।

2. जिलाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार निरीक्षण के क्रम में श्री सत्येन्द्र कुमार, अधीक्षक से उच्च श्रेणी वार्ड (डिविजन वार्ड) के संबंध में पृच्छा करने पर उनके द्वारा जो वार्ड दिखाया गया वह वास्तव में भिजिलेंस वार्ड पाया गया।

3. इसी प्रकार स्पेशल सेल के निरीक्षण हेतु जानकारी प्राप्त करने पर एक ही स्पेशल सेल के बारे में बताया गया जबकि वहाँ दो स्पेशल सेल हैं। इस कारण दूसरे स्पेशल सेल का निरीक्षण एक घंटे बाद किया जा सका एवं उसमें एक मोबाइल भी बरामद हुआ।

4. इसके अतिरिक्त कुछ ही दिन पूर्व इसी कारा में संसीमित एक कुख्यात बंदी सुबोध सिंह द्वारा कुणाल शर्मा नाम के एक बंदी से रंगदारी मांगने एवं कुणाल शर्मा से जेल में उठक–बैठक कराने का वीडियो वायरल हुआ था। इस संबंध में कारा महानिरीक्षक के पत्रांक 1929 दिनांक 01.03.2021 के माध्यम से अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना से तथ्यात्मक प्रतिवेदन की माँग की गई।

5. अधीक्षक द्वारा अपने पत्रांक 2234 दिनांक 03.03.2021 एवं पत्रांक 2262 दिनांक 04.03.2021 से परस्पर विरोधाभाषी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण कारा महानिरीक्षक के पत्रांक 2210 दिनांक 07.03.2021 के आदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा वस्तुस्थिति की जाँच की गई।

6. उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार कारा के अंदर मोबाइल फोन जैसी प्रतिबंधित सामग्री की प्रविष्टि, उसके नियम विरूद्ध उपयोग, कारा से आपराधिक गतिविधियों के संचालन एवं विभागीय आदेश के विरूद्ध मुलाकाती को बंदियों से अवैध मुलाकात कराने के दृष्टांत पाये गये।

7. इसके अतिरिक्त दिनांक 07.03.2021 को दैनिक हिन्दुस्तान में ''बेऊर जेल से फोन कर के मांगी 05 लाख की रंगदारी'' शीर्षक से पुनः एक समाचार प्रकाशित हुआ है। इस प्रकरण की जाँच के दौरान, निदेश के आलोक में, कारा प्रशासन द्वारा की गई छापेमारी में पुनः एक मोबाइल एवं एक चार्जर बरामद किया गया। दिनांक 08.03.2021 को कारा महानिरीक्षक के नेतृत्व में पुनः कारा में छापामारी की गई, जिसमें अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों के अतिरिक्त 02 मोबाईल एवं 01 पेनड्राइव बरामद किया गया।

8. उपरोक्त तथ्यों से कारा की लचर प्रशासनिक व्यवस्था परिलक्षित होती है। श्री सत्येन्द्र कुमार, अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना कारा में प्रतिबंधित सामाग्रियों का प्रवेश एवं उसका नियम विरूद्ध उपयोग रोक पाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें कारा के वार्डों की सामान्य जानकारी तक नहीं है, उनका अधीनस्थ कर्मियों पर कोई नियंत्रण नहीं है तथा वे चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने में पूरी तरह विफल हैं। बंदियों द्वारा कारा के भीतर से आपराधिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही है जो समाज एवं कारा की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

9. अतः श्री सत्येन्द्र कुमार, अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, पटना को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ निर्धारित किया जाता है। निलम्बन अवधि में संलग्न कारा द्वारा नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

दीवान जाफर हुसैन खाँ,

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 332-571+10-डी0टी0पी0

Website: http://egazette.bih.nic.in